राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
64 / 24	11.07.24	29.11.24

बउनवान

मदनलाल पुत्र मूल्याराम नावरिया निवासी भण्डपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा (राज.)।

..अप्रार्थी

उपस्थितः श्री हरिशंकर सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भण्डपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान में स्थित खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 105 / 1 रकबा 1.0012 हैक्टे., 105 / 2 रकबा 0.0128 हैक्टे., कुल किता 2 कुल रकबा 1.014 हैक्टे. में प्रार्थी का 1 / 10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। हिस्से अनुसार प्रार्थी फसल दरोह करता चला आ रहा है। प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजों में मदनलाल पुत्र मूल्याराम दर्ज है। प्रार्थी के पिता मूल्याराम के देहान्त होने के बाद, नामान्तरकरण संख्या 182 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.07.87 को भरते समय सहवन से केदार पुत्र मूल्याराम भरकर ग्राम पंचायत राजस्व अभियान कैम्प गढ हिम्मतसिह में दिनांक 03.07.87 को नामान्तकरण पेश हुआ, कॉलम संख्या 5 के बजाय कालम संख्या 11 का इन्द्राज कर स्वीकार करने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत गढहिम्मतसिंह पंचायत समिति महवा जिला सवाई माधोपुर से तस्दीक करवा लिया। तभी से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से गलत इन्द्राज चला आ रहा है। उक्त गलती का पता चलने के बाद प्रार्थी अपना नाम शुद्धि हेतु तहसीलदार मण्डावर के पास गया मगर उन्होने दिनांक 10.07.2024 को मना करते हुए कहा कि उक्त शुद्धि उपखण्ड अधिकारी के आदेश से हो सकती है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश प्रदान किया जावे कि आराजी भूमि खाता संख्या 19 में राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज केदार पुत्र मूल्याराम हिस्सा 1 / 10 के स्थान पर मदनलाल पुत्र मूल्याराम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दुरुस्त करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम भण्डपुरा के आ.ख.नं. 105 / 1 एवं 105 / 2 किता 2 रकबा 1.0140 की वर्तमान मे खातेदारी केदार पुत्र मूल्याराम हिस्सा 1 / 10 एवं अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी जमाबंदी संलग्न है। नामान्तरकरण संख्या 182 स्वीकृत दिनांक 03.07.87 के द्वारा मूल्याराम पुत्र मोती की विरासत मंगल, केदार पि. मूल्याराम हि.ब. 1 / 5 के नाम नामान्तरकरण स्वीकार हुआ। ग्राम भण्डपुरा मे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मूल्याराम पुत्र मोती के वारिसान की जॉच पर पाया गया कि मूल्याराम पुत्र मोती जाति खटीक निवासी भण्डपुरा के दो पुत्र मंगल एवं मदनलाल है। मंगल मृतक हो चुका है। पटवारी हल्का रींदली एवं भू. अभि. निरीक्षक हल्दैना की रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी मे अंकित केदार पुत्र मूल्याराम को मूल्याराम का पोता होना बताया गया है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की वहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा खाता संख्या 19 में दर्ज प्रविष्टि केदार पुत्र मूलाराम को संशोधित कर मदनलाल पुत्र मूल्याराम करवाना चाहता है। तहसीलदार मंडावर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित जिस प्रविष्टि के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि नामांतरण संख्या 182 दिनांक 02.07.87 के द्वारा दर्ज हुई है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

तहसीलदार मंडावर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस प्रविष्टि के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि नामांतरण संख्या 182 दिनांक 02.07.87 के द्वारा दर्ज हुई है तथा इस प्रविष्टि को संशोधित किया जाना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण पोषनीय नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधान के अंतर्गत पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को न्यायालय में सुनाया गया ।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)